

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

## निविदा सूचना

क्रांक / ज.प्रवि./ न.नि./०८८

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से लोक निमार्ण विभाग में ई-रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत ठेकेदारों से आयटम दर पर जावेगी। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन दिनांक 22.04.2021 को साथ 5:30 बजे तक निर्धारित राशि के साथ आवेदन स्वीकार किये जावेगा।

**नोट :-** 1. निविदा दर शब्दों में भी अकित करें तथा लिफाफा में पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिख जावें।  
 2. नियम शर्त संलग्न है।

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	ठेकेदार की श्रेणी
1	निगम क्षेत्र अंतर्गत स्थित उच्चस्तरीय जलागर एवं सम्पवेल का वर्ष में 02 बार सफाई करने का कार्य।	19.62	15000.00	750.00	01 वर्ष	द एवं प्रवर

**नियम एवं शर्तः—** 1. सरकार निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। 2. निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रिजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेंगे। 3. धरोहर राशि कार्यालय अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से तथा प्रत्येक कार्य के लिये जीवीत ठेकेदारी ई-पंजीयन, पेनकार्ड, आयकर, जीवित बैंक सालबेसी प्राप्त, GST पंजीयन पत्र की सत्यापित प्रति लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना है, निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 4. कर्मसुकर कर्त्तव्य उपकर अधिनियम लागू होगी। 5. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम क्षेत्र के स्त्रीलोगों से निमार्ण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1 % राशि की कटौती की जावेगी, किन्तु निगम वाहनों से जल उपलब्ध करने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। 6. नगर निगम की वाहनों से निमार्ण कार्य हेतु पानी लेने पर 0.5 % की कटौती की जावेगी। 7. ठेकेदार द्वारा निविदा में अंकों एवं शब्दों दोनों में स्पष्ट रूप से दरे प्रस्तुत करने नहीं किये जाने पर निविदा फार्म निरस्त किया जावेगा। 8. शासन के आदेश क्रमांक 19 दिनांक 04.06.2016 के सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि एफ.डी.आर. के रूप में संबंधित दरों के अनुलेघ प्रतिशत कार्यों हेतु श्रमिकों का पी.एफ. कटौती किया जाना है तथा बैंक खाते में श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणावश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा। 12. प्रत्येक कार्य के लिए शुक्र-मुहूर धरोहर राशि जमा करें एवं समयोजन की कार्यवाही नहीं होगी। 13. शासन के निर्देशानुसार G.S.T. एवं अन्य कर सम्पत्ति भाग लेने वाले इच्छुक एजेंसी प्रत्येक कार्य के लिए राशि रु. 100.00 स्थाप एफिर्डेविट सम्बन्धन करना अनिवार्य होगा। 15. किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय एवं तिथि में कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई 77 एम.एल.डी. जलशोधन संयंत्र भिलाई की वेबसाइट www.udl.cg.gov.in एवं चीम की वेबसाइट cproc.cgstatec.gov.in से देखी जा सकती है।

कार्यालय अभियंता (जलकारी)  
 77 एम.एल.डी. जलशोधन संयंत्र  
 1<sup>st</sup> बटालियन के सामने  
 नगर पालिक निगम, भिलाई